न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी
जिला सवाईमाधोपुर
पीठासीन अधिकारी—श्री बृजेन्द्र मीना, आर0ए0एस0

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
71/2020	26.1.2020	18.5.26

1. अमला पत्नी रामचरण पुत्री बाला, माली निवासी मॉलियों की चौकी, हालवासी बाढमोहनपुर मंदिर वाले, तह० बामनवास
2. सोनम पुत्री मदन माली उम्र 10 वर्ष, माली निवासी बागौर जरिए संरक्षक पिता मदन पुत्र बाबूलाल माली निवासी बागौर तह० नादौती
3. मदन पुत्र बाबूलाल, माली निवासी बागौर तह० नादौती —वादीगण

बनाम

1. धप्पो पत्नी बाला, माली निवासी मालियो की चौकी, तह0 तलावडा (मृतक, नाम हजफ)
2. जगराम पुत्र बाला, माली निवासी मालियो की चौकी, तह0 तलावडा
3. पप्पू पुत्र बाला, माली निवासी मालियो की चौकी, तह0 तलावडा
4. रामकिशन पुत्र भम्बू, माली निवासी नौगांव तह0 तलावडा
5. इन्द्राज पुत्र भम्बू, माली निवासी नौगांव तह0 तलावडा
6. बबलू पुत्र भम्बू, माली निवासी नौगांव तह0 तलावडा
7. राधेश्याम पुत्र पाँचूराम, माली निवासी हिण्डौन करौली मोड, सालौदा, तहसील गंगापुरसिटी
8. लैण्ड होल्डर जरिए उपपंजीयक तहसीलदार, गंगापुर सिटी—प्रतिवादीगण

दावा बावत घोषणा खातेदारी, इन्द्राज दुरुस्ती, स्थायी निषेधाज्ञा भूमि विभाजन एवं घोषित किए जाने नल एवं बोईड विक्रय पत्र
दिनांक 17.6.08, 21.8.09, 20.1.12

उपस्थित :श्री तरूण शर्मा, एडवोकेट, वादीगण की ओर से

निर्णय

वादीगण ने वादपत्र इस आशय का पेश किया है कि वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 एक ही परिवार के सदस्य हैं। वादीगण के पिता स्वर्गीय बाला के कब्जे काश्त व खातेदारी को भूमि आराजी ख0न0 911 रकबा 50 एयर ग्राम अमरगढ तहसील गंगापुरसिटी मे रही है, जिसे वादिया के पिता अपने जीवनकाल में जोत बोकर उसकी फसल से लाभान्वित होते चले आ रहे थे, उक्त वर्णित भूमि पैत्रिक भूमि है, जिसमें वादिया सं०1 का 1/5 हिस्सा बाजिव बनता है तथी वादिया सं० 2 को माता व वादी सं० 3 की पत्नी फोरन्ती जो बाला की पुत्री है, का स्वर्गवास हो चुका है, फोरन्ती के जायज वारिस वादी सं० 2 व 3 है। जिनका उक्त सम्पत्ति भूमि मे 1/5 हिस्सा है। वादीगण के पिता बाला की मृत्यु करीबन 20 वर्ष पहले हो चुकी है, उनकी मृत्यु के पश्चात् उक्त पैत्रिक आराजी को उनके वारिसान ने मौके

पर विभाजित कर मुताबिक हिस्सा काश्त करना शुरू कर दिया तथा आज दिनांक तक भी वादीगण अपनी भूमि पर काश्त कर उसकी फसल से उपयोग उपभोग से लाभान्वित होते चले आ रहे हैं। वादीगण के हिस्से में प्रतिवादीगण एवं अन्य किसी व्यक्ति का इस भूमि से कोई वास्ता नहीं है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने राजस्व कर्मचारियों से साठ गांठ कर पिता बाला की मृत्यु के बाद वादीगण की पैत्रिक आराजी को बिना वादीगण को सूचित किये स्वयं के नाम राजस्व रिकार्ड मे अपने नाम इन्द्राज करवा लिया। जिसका की उन्हें कोई अधिकार नही है जबकि प्रतिवादी नं01 ता 3 अपने प्रत्येक के हिस्से में केवल 1/5 भूमि हो अपने नाम राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज करवाने के अधिकारी थे व राजस्व कर्मचारियों ने भी बिना बाला के विधिक उत्तराधिकारियों की जॉच किये, भूमि को राजस्व रिकार्ड में केवल प्रतिवादी नं01 ता 3 के नाम ही लगा दी, जिससे वादीगण के हितों पर विपरीत प्रभाव पड रहा है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने उक्त अवैधानिक इन्द्राज के आधार पर वादीगण की कब्जेशुदा व पैत्रिक मिल्कियत की आराजी को बिना वादीगण को सूचित किये चुपचाप व पोशीदा तरीके से प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 ने उक्त आराजी को प्रतिवादी सं0 7 को विक्रय कर दी है। उक्त आराजियात वादीगण की पैत्रिक कब्जाशुदा अविभाजित है, जिसे बिना विभाजन करवाये किसी भी खातेदार को बेचने का अधिकार नहीं है, प्रतिवादीगण द्वारा विक्रय की गई भूमि अविभाजित है, जिसमें वादीगण का हिस्सा है तथा बिना विभाजन के किया गया विक्रय पत्र नल व वोईड है, जो कि वादीगण के मुकावले प्रभावशून्य है तथा जिससे वादीगण के अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पडता है तथा कब्जा उक्त भूमि पर मुताविक हिस्सा वादीगण का ही है। वादिया एक गरीब महिला है, जिनके पास उक्त पैत्रिक आराजी के अतिरिक्त आय का कोई स्वतंत्र साधन नहीं है। वादीगण के हिस्से से प्रतिवादीगण अवैध विक्रय पत्रों के आधार पर यदि प्रतिवादीगण ने वादीगण को उक्त भूमि से बेदखल कर दिया तो वादीगण के समक्ष भूखे मरने की नौबत आ जायेगी। वादिया व वादिया के परिवार की आजीविका जीविकोपार्जन का एक मात्र साधन है। उक्त अवैध विक्रय पत्रों की आड में क्रेतागण जो कि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के ही भूमाफिया साथी हैं, जो कि गरीब व असहाय व्यक्तियों की भूमियो को औने पौने दाम पर खरीदकर उन्हें बेदखल करते हैं। वादीगण को भी बेदखल करने पर आमादा हैं, यदि प्रतिवादीगण अपनी उक्त कृत्य में सफल हो गये तो वादीगण व उनके परिवार के समक्ष भूखे मरने की नौवत आ जावेगी, इस कारण हस्तगत दावा प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। उक्त भूमि वादीगण की पैत्रिक कब्जेशुदा आराजी है, जिसका इन्द्राज मुताबिक हिस्सा वादीगण के हक मे राजस्व रिकार्ड में किया जाना न्यायहित में आवश्यक है व बिना विभाजन के हुए समस्त विक्रय पत्रों को नल व वोईड घोषित परमाया जावे व भूमि का मीट्स एण्ड वाउन्ड से विभाजन कर स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे। अतः दावा वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जावे कि वादीगण को भूमि ख0न0 911

कलेक्टर
मजिस्ट्रेट
सिटी (म0प्रा0)

रकबा 50 एयर स्थित ग्राम मालियों की चौकी का 1/6 हिस्से खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावे व इसी प्रकार सरकारी कागजात व सरकारी लैण्ड रिकार्ड में वादीगण के हक का इन्द्राज कर वर्तमान समस्त इन्द्राज निरस्त फरमाये जावें। उक्त अविभाजित पैत्रिक भूमि में हुए पूर्व के समस्त विक्रयपत्रों दिनांक 17—6—08, 21—8—09 तथा 20—1—2012 को नल व वोईड घोषित फरमाया जावे। प्रतिवादी सं० 1 ता 7 को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय से पाबंद फरमाया जावे कि वे वादीगण को उनके हिस्से की भूमि के उपयोग उपभोग मे किसी प्रकार की मजाहमत न तो स्वयं पैदा करें न ही किसी अन्य से करावें। वादीगण के हिस्से का विभाजन कर अलग जमाबंदी कायम कर व भूमि के बटा नम्बर डालकर नक्शा ट्रेस में भी इसी तरह इन्द्राज किया जाये ।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी प्रतिवादीगण जरिये नोटिस की गई। प्रकरण मे प्रतिवादी संख्या 2,4,7 के अलावा अन्य प्रतिवादीगण बावजूद सूचना हाजिर अदालत नही हुए इसलिए शेष प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

प्रतिवादी नं० 2,4,7 ने अपने जबाब में अंकित किया है कि प्रतिवादी संख्या 4 से 6 ने अपने कब्जे काश्त एंव खातेदारी मे दर्ज भूमि खसरा नम्बर 911 रकवा 0.50 हेक्टर मे से अपने हिस्सा 5/6 भूमि मे से हिस्सा 33/125 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय—पत्र दिनांक 17—1—2012 को 80,000/—रूपये मे प्रतिवादी संख्या 7 राधेश्याम को विक्रय कर कब्जा संभलाया है तथा अपनी खरीदशुदा भूमि मे प्रतिवादी संख्या 6 ने अपना मकान बना लिया है तथा मौके पर बजरी पत्थर पडे हुए है। वादीगण या अन्य किसी का इस भूमि से किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध नही है। पूर्व मे कल्याणी पत्नि रामहेत ब्राहमण ने उक्त खसरा नम्बर 911 रकवा 0.50 हेक्टर मे से हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय—पत्र केसर पत्नि भम्बू माली को विक्रय किया तथा उसके बाद केसर पत्नि भम्बू ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय—पत्र उक्त हिस्सा 5/6 प्रतिवादी संख्या 4 से 6 रामकिशन, इन्द्रराज, बबलू को विक्रय कर दिया। जिसमे से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय—पत्र दिनांक 17—1—2012 के द्वारा प्रतिवादी संख्या 4 से 6 ने हिस्सा 5/6 मे से हिस्सा 33/125 को प्रतिवादी संख्या 7 राधेश्याम को विक्रयकर कब्जा संभलाया है। इस प्रकार खरीददारान भूमि के काबिज खातेदार काश्तकार है। रजिस्टर्ड विक्रय—पत्र को निष्प्रभावी या निरस्त करने का कोई अधिकार प्रस्तुत राजस्व न्यायालय को नही है। वादीगण का यह दावा चलने योग्य नही है। वादीगण का मौके पर कोई कब्जा भी नही है। विक्रय—पत्रो को नल व बोईड घोषित करने, निरस्त करने का अधिकार सिविल न्यायालय को है तथा प्रस्तुत न्यायालय को अधिकार नही है। ऐसी स्थिति मे प्रस्तुत न्यायालय मे यह दावा चलने योग्य नही है तथा वादीगण प्रस्तुत न्यायालय से किसी प्रकार की कोई रिलीफ पाने के अधिकारी नही है। अतः जवाब दावा पेश कर निवेदन है कि दावा वादीगण मय खर्चा खारिज फरमाया जावे ।

सहायक कलेक्टर
एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी (स०मा०)

वादपत्र के समर्थन में वादीगण ने नकल जमाबंदी सं० 2066 से 2069 प्रदर्श 1, नकल जमाबंदी संवत 2030–33 प्रदर्श 2, फोटोकॉपी नकल नक्शा ट्रेस प्रस्तुत किए है एवं बयान वादी अमला कराये है।

प्रकरण मे प्रतिवादी संख्या 2,4,7 द्वारा जवाब प्रस्तुत करने के बाद न्यायालय मे उपस्थित नही होने के कारण इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

बहस वकील वादीगण सुनी गई।

वकील वादीगण ने अपने वादपत्र के अनुरूप बहस करते हुए वादीगण का दावा डिक्री करने का निवेदन किया है।

बहस पर मनन किया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। वादीगण द्वारा भूमि ख0न0 911 रकबा 0.50 है0 मे से अपने हिस्से की भूमि की घोषणा चाही गई है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श 2 नकल जमाबंदी संवत 2030–33 मे भूमि ख0न0 285, 350, 412/1, 412/2 बाला पुत्र सुकल्या जाति माली सा. देह खातेदार की खातेदारी मे दर्ज है। वादीगण द्वारा भूमि ख0न0 911 किस नम्बर से बने है का मिलान क्षेत्रफल प्रस्तुत नही किया है तथा वादी द्वारा अपने वाद मे विक्रय पत्र दिनांक 17.6.08, 21.8.09, 20.1.12 को नल एंड बोईड घोषित करने का अनुतोष भी चाही गया है लेकिन वादीगण द्वारा पत्रावली मे विक्रय पत्र दिनांक 17.6.2008, 21.8.09, 20.1.12 की प्रमाणित प्रति भी प्रस्तुत नही की है और ना ही वादीगण द्वारा भूमि ख0न0 911 रकबा 0.50 है0 पर कब्जे काश्त के सम्बन्ध मे दस्तावेज पत्रावली पर प्रस्तुत की है। फलस्वरूप वादीगण का वाद स्वीकार किये जाने योग्य नही है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादीगण का वाद अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी की जावे।

निर्णय आज दिनांक 18.5.16 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(बृजेन्द्र मीना)
सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी

डिक्री व मुकद्दमे इब्तदाई
(ऑर्डर 20, रूल 6–जाब्ता दीवानी)
(Civil Proceede Code, Appendix D-1)

Judi/Civil
Part IV-10

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी
इजलास बृजेन्द्र मीना, आर0ए0एस0

उनवान

1. अमला पत्नी रामचरण पुत्री बाला, माली निवासी मॉलियों की चौकी, हालवासी बाढमोहनपुर मंदिर वाले, तह० बामनवास
2. सोनम पुत्री मदन माली उम्र 10 वर्ष, माली निवासी बागौर जरिए संरक्षक पिता मदन पुत्र बाबूलाल माली निवासी बागौर तह० नादौती
3. मदन पुत्र बाबूलाल, माली निवासी बागौर तह० नादौती ——वादीगण

बनाम

1. धप्पो पत्नी बाला, माली निवासी मालियो की चौकी, तह0 तलावडा (मृतक, नाम हजफ)
2. जगराम पुत्र बाला, माली निवासी मालियो की चौकी, तह0 तलावडा
3. पप्पू पुत्र बाला, माली निवासी मालियो की चौकी, तह0 तलावडा
4. रामकिशन पुत्र भम्बू, माली निवासी नौगांव तह0 तलावडा
5. इन्द्राज पुत्र भम्बू, माली निवासी नौगांव तह0 तलावडा
6. बबलू पुत्र भम्बू, माली निवासी नौगांव तह0 तलावडा
7. राधेश्याम पुत्र पाँचूराम, माली निवासी हिण्डौन करौली मोड, सालौदा, तहसील गंगापुरसिटी
8. लैण्ड होल्डर जरिए उपपंजीयक तहसीलदार, गंगापुर सिटी——प्रतिवादीगण

दावा बावत घोषणा खातेदारी, इन्द्राज दुरुस्ती, स्थायी निषेधाज्ञा भूमि विभाजन एवं घोषित किए जाने नल एवं बोईड विक्रय पत्र

दिनांक 17.6.08, 21.8.09, 20.1.12

मुकदमा नं. –71/2020

यह मुकदमा आज वास्ते इनफियाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी श्री तरूण शर्मा एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई ..... मुद्दायलह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादीगण का वाद अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 18.5.16 को जारी किया गया ।

(बृजेन्द्र मीना)
सहायक कलेक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी

कैसा	मुद्दायलह
	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प पर्ची महनतानावकील पर खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक मीजान

(बृजेन्द्र मीना)
सहायक कलक्टर एव
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी